जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा/उपा.07/2022/डी– 2778 दिनांकः– 28/12/2022

श्री हरसहाय एवं अन्य खातेदार,
पता– धावास, अजमेर रोड, जयपुर।

विषयः–ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जयपुर के खसरा नम्बर 1001/31, 1003/32 एवं 1005/35 पर निजी खातेदारी की योजना बालाजी एन्कलेव के अनुमोदित मानचित्र की प्रति भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जयपुर के खसरा नम्बर 1001/31, 1003/32 एवं 1005/35 पर निजी खातेदारी की योजना बालाजी एन्कलेव के अनुमोदित मानचित्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

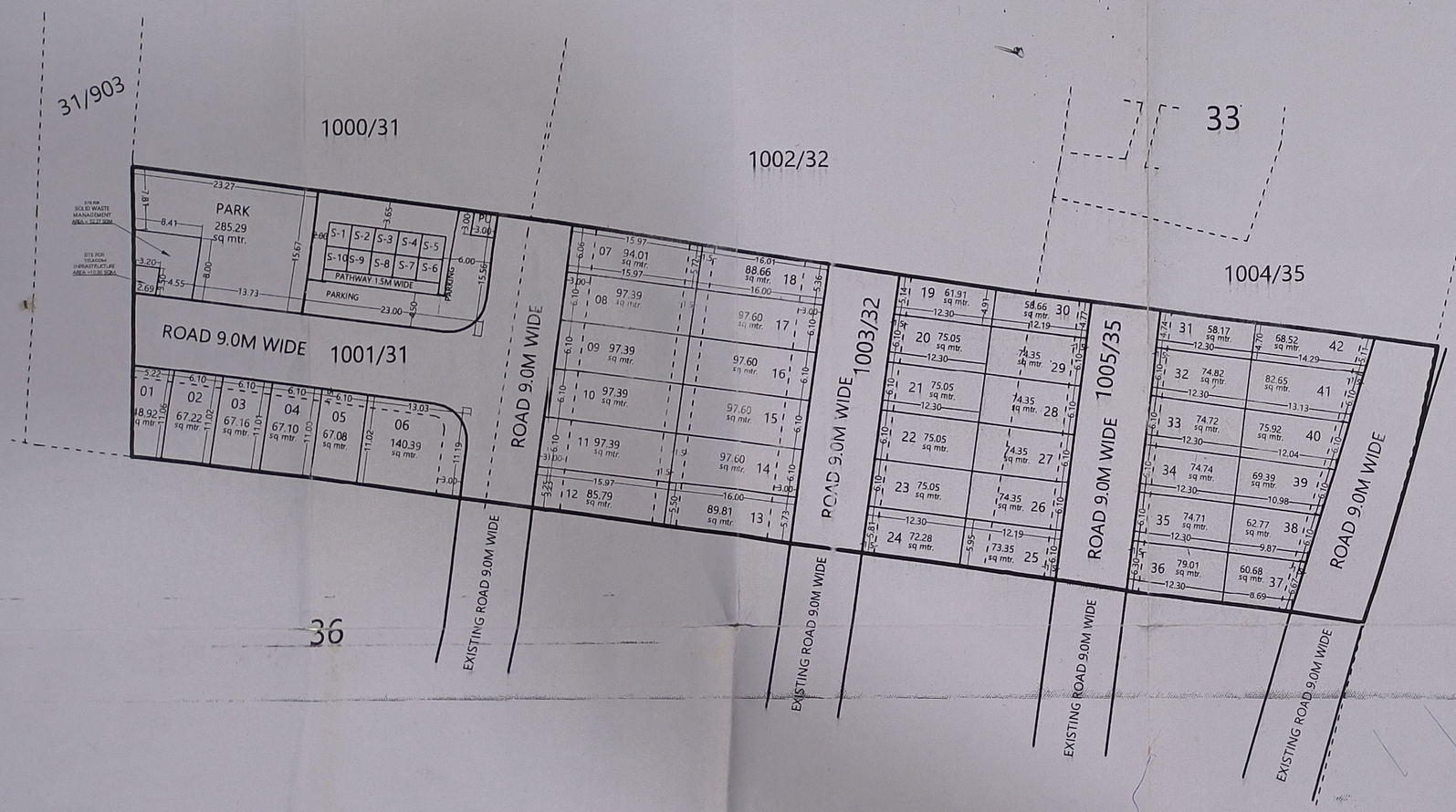
संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

नारायण शर्मा

LAYOUT PLAN OF RESIDENTIAL SCHEME "BALAJI ENCLAVE"

in KH. NO - 1001/31,1003/32,1005/35 VILLAGE-KESOPURA,TEHSIL-SANGANER, JAIPUR.



(बी.पी.सी.–एल.पी. की 322वी बैठक दिनाक 18.08.2022) जोन–07 की अनुपालना में आवासीय योजना **"बालाजी एनक्लेव"** मानचित्र अनुमोदन किये जाने के पश्चात निम्न शर्तों के साथ आवासीय योजना **"बालाजी एनक्लेव"** का मानचित्र जारी किया गया है

नोट:–

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है ।

अमीन
जोन–7

नोट

1. कार्नर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
2. आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनाक 22–04–2022को हो चुकी है।
3. योजना **"बालाजी एनक्लेव"** की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा **आवासीय भूखण्ड संख्या 01, 02, 03, 04, 05 व 06 कुल भूखण्ड 06** कुल क्षेत्रफल 457.85 वर्गमीटर है, को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डो का आवटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
5. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी) की 322 वी बैठक दिनाक 18–08–2022 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
6. योजना का भू–उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत आवासीय एवं जोनल डेव्लपमेंट प्लान –11 **B** के अन्तर्गत यू–1 (आवासीय) दर्शित है।
7. योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
8. बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डो पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

23/10/22
सहायक नगर नियोजक
जोन–7

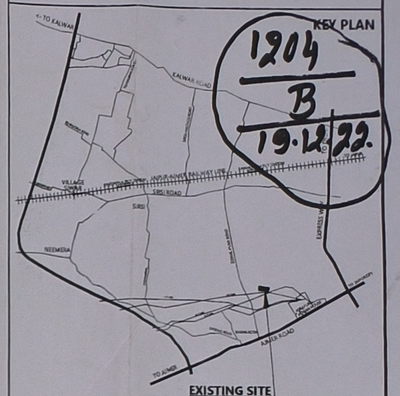
तहसीलदार
जोन–7

उपायुक्त
जोन–7

उप नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

J.D.A.



मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग – आवासीय		
भूखण्डों की निर्माण स्थिति		
1	पूर्ण/आंशिक निर्मित भूखण्ड	– –
2	चार दीवारी निर्मित भूखण्ड	– –
3	खाली भूखण्ड	– –
	कुल भूखण्ड	– –

Residential scheme area analysis:-

S.no.	Land Use	Area(sq.mtr.)	Percent	
1	Residential	3321.28	58.27 %	59.85%
2	Retail comm.	90.00	01.58 %	
	PARKING & UTILITY	264.80	04.65 %	
3	Park	285.29	05.00 %	
4	S.W.M.+Telecom	62.58	01.10 %	40.15%
5	Road	1676.05	29.40 %	
	Total area	5700.00	100.00%	100.00%

योजना की मौके जाँच, सर्वेक्षण एवं मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल विकास योजना की सड़कों मू–उपयोग एवं क्षेत्रफल इत्यादि से संबंधित पूर्ण जाँच कर स्थिति योजना मानचित्र में अंकित की गई है।

SULABH TECHNICAL SERVICES PVT. LTD. STS JAIPUR

डेडीकेटेड सलाहकार
फर्म का नाम एवम् हस्ताक्षर

Note:-

Consultant

Sulabh Technical Services Pvt. Ltd.
B-85/A, Ganesh Marg
Bapu Nagar, Jaipur-15
9414066188, 9829147939
Email:- stsjpr15@gmail.com
website:- stsjaipur.com

NAME OF SOCIETY :-	NIJI KHATEDARI
NAME OF SCHEME :-	BALAJI ENCLAVE
ZONE NO.:-7	SECTOR NO.=
SCALE 1"=40'	DRG. NO.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR